न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 82/2021

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. देवाराम पुत्र भींयाराम 2. प्रेमाराम पुत्र भींयाराम (जाति विश्नोई, निवासी अणवाणा, तहसील बावडी, जिला जोधपुर)		1. संजु पत्नी राणाराम 2. तुलछाराम पुत्र भीयाराम 3. बाबुराम पुत्र हरिंगाराम (जाति विश्नोई निवासी अणवाणा तहसील बावडी, जिला जोधपुर) 4. भूमिधारी तहसीलदार बावडी 5. सरपंच ग्राम पंचायत अणवाणा, पंचायत समिति बावडी, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बावडी नामान्तरकरण सं0 1984 दिनांक 2.2.21

उपस्थित–

1. श्री बाबूलाल विश्नोई, वकील अपीलाण्ट
2. श्री लाधूराम पूनिया, वकील रेस्पो0 सं0 1 व 3
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4, 5
4. रेस्पो0 सं0 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 28/.05/2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने तहसीलदार बावडी द्वारा ग्राम अणवाणा के नामान्तकरण सं0 1984 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अणवाणा के खसरा नं0 108, 294, 36 व 93 की कृषि भूमि कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.8217 हैक्टर सह–खातेदार बाबूलाल पुत्र हरींगाराम हिस्सा 1/2, तुलछाराम पुत्र भीयाराम हिस्सा 1/6, देवाराम पुत्र भीयाराम हिस्सा 1/6, प्रेमाराम पुत्र भीयाराम हिस्सा 1/6 की खातेदारी में दर्ज थी। जो खातेदार बाबूलाल पुत्र हरींगाराम द्वारा दिनांक 12.11.2020 को अपने हिस्से का पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर संजु पत्नी राणाराम के नाम तहसीलदार

बावडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.2.21 द्वारा दर्ज हुई। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा के समक्ष आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि उल्लेखित खसरान की भूमि अपीलांट एवं रेस्पा0 सं0 2 व 3 की खातेदारी में दर्ज थी। जिसका खातेदारी घोषणा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा0प0 न्यायालय सहायक कलेक्टर बावडी में लंबित है। खातेदार बाबूलाल ने अपीलांट्स को खातेदारी अधिकारों से वंचित करने की नियत से एवं प्रकरण में नया विवाद पैदा करने के लिए रेस्पो0सं0 1 के पक्ष में दिनांक 12.11. 2020 को एक बेचाननामा निष्पादित किया। उक्त बेचाननामें के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा ना0क0 दर्ज कर भू0अ0नि0 की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2020 से निर्णय हेतु ग्राम पंचायत अणवाणा को पेश किया गया। ग्रा0पं0 की बैठक दिनांक 07.12.2020 को प्रस्ताव पारित कर उक्त ना0क0 के अलावा अन्य सभी ना0क0 स्वीकृत कर दिये गये। इसके बावजूद हल्का पटवारी द्वारा उक्त ना0क0 स्वीकृति हेतु तहसीलदार बावडी के समक्ष पेश कर दिनांक 02.02.2021 को पारित कर दिया, जो कि न्यायोचित नही है। सरपंच ग्रा0पं0 ने जब ना0क0 की कार्यवाही रोके जाने का आदेश पारित कर दिया तो उस आदेश के रहते हुए अन्य कोई आदेश पारित नही हो सकता है। रेस्पो0सं0 1 अजनबी केता है, जिसने संयुक्त खातेदारी की भूमि से हिस्सा कय किया है। जो अब इस ना0क0 की आड में जबरन प्रवेश करने का प्रयत्न करेगी, जबकि विधि का सिद्धान्त है कि अजनबी केता बिना बंटवाडा करवाये प्रवेश नही कर सकते है। इस लिहाज से भी ना0क0 की कार्यवाही रोका जाना न्यायोचित था। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन ना0क0स0 1984 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 को अपास्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 व 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि उक्त ना0क0 जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को दर्ज कर भू0अ0नि0 को जांच हेतु पेश किया गया। भू0अ0नि0 की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2020 द्वारा सरपंच ग्रा0पं0 अणवाडा को पेश हुआ।

जो संरपच ग्रा0पं0 द्वारा निर्धारित समयावधि में पारित नही किए जाने से स्वतः ही तहसीलदार बावडी की अधिकारिता में होने व प्रकरण में कोई स्थगन नही होने से दिनांक 02.02.2021 को स्वीकृत किया गया। अतः अपीलाधीन ना0क0 विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार बावड़ी द्वारा पंजिबद्ध विकय विलेख के आधार पर, बाद सुनवाई ना0क0सं0 1984 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 में कोई विधिक भूल प्रतीत नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन ना0क0सं0 1984 में तहसीलदार बावड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

28/05/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर